न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2018 (बांसवाड़ा डिक्री)

शामदाद खां पिता जरीब खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. कचरा पिता दलजी, जाति भील, निवासी गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती कचरी पुत्री खुमा पत्नी दलजी, जाति भील, निवासी गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. गौतम पिता दलजी, जाति भील, निवासी गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. धन्ना पिता लालजी, जाति भील, निवासी गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती कमला बेवा लालजी, जाति भील, निवासी गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा दि0
06.06.2018 प्रकरण संख्या 67/16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाशक अपीलान्ट
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

———:::———

निर्णय दिनांक 05–07–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने प्रतिवादीगण के दादा कचरू से वर्तमान खाता संख्या 25 पुराना 20 एवं पुराना खाता संख्या 53/02 वर्तमान सर्वे नंबर 871, 872, 1052, 1076 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा वागे ग्राम नागावाडा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21–07–1953 को 5000/– रूपये में क्रय किया, तब से निरन्तर काबिज चला आ रहा है, किन्तु कचरू की मृत्यु के बाद भूमि वारिसान के नाम चढ़ गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

है। विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व का होने से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से बाधित भी नहीं है। दस्तावेज करीब 63 वर्ष पुराना होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के अनुसार भी प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर वादी के पक्ष में निहित हो चुके हैं। अतः वादी को सर्वे नंबर 871, 872, 1052, 1076 रकबा 17 बीघा 10 का खातेदार घोषित किया स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 06–06–2018 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब एवं साक्ष्य लिये बिना राजस्व कैम्प में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना वाद खारिज कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 27–07–2018 को हुई। देरी का वास्तविक कारण है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि प्रकरण प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के जवाब हेतु नियत था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाबदावा लिये एवं अपीलान्ट की साक्ष्य लिए बिना एवं उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विक्रय पत्र वर्ष 195[illegible] का [illegible]र काश्तकारी अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रभाव में आने से पूर्व का होने से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से बाधित भी नहीं है। उक्त विक्रय वर्ष 1953 का होकर करीब 63 वर्ष पुराना है एवं तब से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुने बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में विवादित आराजी रेस्पोन्डेन्टगण के खातेदारी में दर्ज है। वादी/अपीलान्ट का कथन है कि उसने दिनांक 21–07–1953 को उक्त भूमि के खातेदार कचरू से 5000/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, किन्तु उक्त दस्तावेज न तो रजिस्टर्ड है, न ही स्टाम्प पर है। ऐसी स्थिति में ऐसे अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड दस्तावेज के आधार पर किसी के हक में खातेदारी अधिकारों का सृजन नहीं होता है। प्रकरण में यह भी तथ्य है कि क्रेता अपीलान्ट/वादी सामान्य जाति का व्यक्ति है, जबकि विक्रेता भील होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से भी बाधित है। अधिनस्थ न्यायालय ने हमारे द्वारा किये गये उक्त विवेचनों के आधार पर ही वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–06–2018 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास .... अनीता मीना, आर.ए.एस. ....

शामदाद खां पिता जरीब खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा   बनाम   कचरा पिता दली, जाति भील, नि0 गांव नागावाडा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.......25/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..... ....बागीदौरा....... मुकाम................मुवर्खे.............06...............माह..............06............2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........05....माह........07.......सन् 2022 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी...........श्री जयेन्द्र पुरोहित..........मिनजानिब अपीलान्ट व.............पैरोकार सरकार

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–06–2018 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........05......माह.......07...........2022 को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:52:59 IST
Reason: SelfAttested